



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1850]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 8, 2013/श्रावण 17, 1935

No. 1850]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 8, 2013/SRAVANA 17, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2013

का.आ. 2424(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (15) के उप खंड (iv) के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित संस्थाओं को वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान यहां नीचे विनिर्दिष्ट की गई शर्तों के अधीन उक्त सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित राशियों के बराबर की राशि के कर मुक्त, सुरक्षित, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बांडों के निर्गम हेतु प्राधिकृत करती है :-

(1) पात्रता :-इन बांडों का ग्राहक बनने हेतु निम्नलिखित पात्र होगा:-

- (क) खुदरा व्यष्टि निवेशक (आरआईआई);
- (ख) अर्हक संस्थागत क्रेता (क्यूआईबी);
- (ग) अपने-अपने संबंधित प्रयोज्य विधायनों के अनुपालन के अधीन निगम (सांविधिक निगमों सहित), न्यास, साझेदारी वाली फर्म, सीमित देनदारी की साझेदारियां, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं अन्य कानूनी संस्थाएं; और
- (घ) उच्च निवल मूल्य वाले व्यष्टि (एचएनआई)।

- (2) बांडों की अवधि :- बांड की अवधि दस, पंद्रह या बीस वर्ष होगी।
- (3) स्थायी खाता संख्या:- ग्राहकों के लिए अपनी स्थायी खाता संख्या (पैन) को बांड निर्गमकर्ता को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- (4) ब्याज की दर:-
- (1) संदर्भ सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) दर पर आधारित कूपन दरों की अधिकतम सीमा होनी चाहिए।
 - (2) संदर्भ सरकारी प्रतिभूति दर नियत आय मुद्रा बाजार तथा भारतीय व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा यथासूचित समकक्ष परिपक्वता अवधि हेतु सरकारी प्रतिभूति की उत्कृष्ट प्रतिभूति आय की औसत होगी जो कि दैनिक आधार (कार्यकारी दिवस) पर होगी तथा सार्वजनिक निर्गम के मामले में कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) अथवा कंपनी विनियम तथा संस्थागत बिक्री के मामले में निर्गम शुरू करने की तिथि के साथ अंतिम विवरण पत्र दाखिल करने से तुरंत पहले आने वाले शुक्रवार को समाप्त हो रहे दो सप्ताहों तक बनी रहती है।
 - (3) एए श्रेणीकृत निर्गमकर्ताओं हेतु खुदरा व्यष्टि निवेशकों (आरआईआई) के मामले में अधिकतम कूपन दर संदर्भ सरकारी प्रतिभूति दर से 55 आधार अंक कम होगी, तथा ऊपर उल्लिखित (1) के (ख), (ग) एवं (घ) में संदर्भित अन्य निवेशक वर्ग के मामले में संदर्भ सरकारी प्रतिभूति दर से 80 आधार अंक कम होगी।
 - (4) निर्गमकर्ता संस्था की श्रेणी एए+ होने के मामले में अधिकतम दर एएए श्रेणीकृत संस्थाओं हेतु अधिकतम दर से 10 आधार अंक ऊपर होगी, खंड (3) में दिए गए अनुसार।
 - (5) निर्गमकर्ता संस्था की श्रेणी एए अथवा एए- होने के मामले में, अधिकतम दर एएए श्रेणीकृत संस्थाओं हेतु अधिकतम दर से 20 आधार अंक ऊपर होगी, खंड (3) में दिए गए अनुसार।
 - (6) अधिकतम दरें ब्याज के वार्षिक भुगतान पर लागू होंगी तथा ब्याज भुगतानों के चुकौती कार्यक्रम के अर्द्ध वार्षिक बदले जाने के मामले में ब्याज दरों को 15 आधार अंकों से घटाया जाएगा ;
 - (7) खुदरा व्यष्टि निवेशकों पर लागू ब्याज की उच्चतर दरें उनके द्वारा बांडों को गैर-खुदरा निवेशकों को हस्तांतरित करने के मामले में उपलब्ध नहीं होंगी।
- (5) निर्गम खर्च एवं दलाली :-
- (1) संस्थागत बिक्री के मामले में निर्गम का कुल खर्च निर्गम के आकार के 0.25% से अधिक नहीं होना चाहिए तथा सार्वजनिक निर्गम के मामले में इसे निर्गम के आकार के 0.65% से अधिक नहीं होना चाहिए।
 - (2) निर्गम खर्च में निर्गम से जुड़े सभी खर्च जैसे दलाली, विज्ञापन, मुद्रण, पंजीकरण आदि शामिल होते हैं।

(6) सार्वजनिक निर्गम :- (1) प्रत्येक संस्था द्वारा निर्गम किए बांडों की कुल राशि का कम से कम 70 प्रतिशत सार्वजनिक निर्गम के माध्यम द्वारा उद्भूत होना चाहिए। फिर भी, यह उन संस्थाओं पर लागू नहीं होगा जहां सारणी के कॉलम(3) के अनुसार बांडों की समग्र राशि 500 करोड़ रुपए से कम होती है।

(2) ऐसे सार्वजनिक निर्गम के 40 प्रतिशत को खुदरा व्यक्ति निवेशकों हेतु सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(7) संस्थागत बिक्री :- (1) बांडों की संस्थागत बिक्री का रास्ता अपनाते समय प्रत्येक संस्था द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण) विनियमन 2008 के विनियम 11 के अलावा उप पैरा (2) में उल्लिखित संस्थाओं के अलावा प्रत्येक संस्था द्वारा बही-निर्माण प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए जिसमें बोलियां संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा के अधीन कूपन दर लगायी जाएगी तथा आबंटन मूल्य बोली पर किया जाएगा।

(2) निर्गमकर्ता बही निर्माण प्रक्रिया की आवश्यकता के बगैर ही सरकारी धन निधि, पेंशन एवं उपदान निधि में लगाने हेतु अपने संस्थागत बिक्री के विनियोजन में ही उचित राशि का निर्धारण करेगा।

बशर्ते कि यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो निर्गमकर्ता घरेलू बाजार में संस्थागत नियोजन के अंतर्गत बही निर्माण रास्ते के माध्यम से बिना अभिदत राशि देने के लिए मुक्त होगा।

(3) बाण्डों का भुगतान एक निश्चित कूपन के साथ प्रीमियम के लिए तथा उसी के लिए किया जाएगा ताकि दस्तावेज को एकल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) के अंतर्गत कारोबार किया जा सके तथा लाभ उद्भूत की गई कीमत के आधार पर परखा जाएगा तथा इसके पश्चात आबंटन उच्च कीमत (न्यूनतम लाभ) के लिए किया जाएगा।

(4) ब्याज की उच्चतम सीमा दर उपर्युक्त पैरा (4) में निर्दिष्ट दर की तुलना में या तो बराबर अथवा कम होगी।

(5) बोली लगाते समय प्रबंधकों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी, जो निर्गम के लिए बोली लगा सकते हैं।

(8) बाण्डों की धन वापसी :- (1) बांडों को जारीकर्ता संस्था धन वापसी के देय हो जाने के उपरांत उधार ली गई निधि की वापसी के लिए अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने हेतु एक वित्तीय योजना वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी।

- (2) उप पैरा (1) में संदर्भित वित्तीय योजना संबंधित संस्था के निदेशक मंडल के संकल्प द्वारा विधिवत अनुसमर्थित निर्गम के बंद होने के तीन माह के भीतर वित्तीय अनुभाग अवसंरचना प्रभाग आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी।
- (9) मर्चेट बैंकरो का चयन: (1) मर्चेट बैंकरो का चयन पारदर्शी पूर्व अर्हता मानदंडों के साथ प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा तथा अंतिम चयन वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन पर आधारित होगा।
- (2) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के अन्तर्गत लाभ तभी ग्राह्य होगा यदि ऐसे बंध पत्रों का धारक अपना नाम तथा धृति संस्था के साथ पंजीकृत कराता है।
- (3) निर्गम कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (निर्गम तथा ऋण प्रतिभूतियों का सूचीयन) विनियम, 2008 में विनिर्दिष्ट लोक निर्गम अपेक्षाओं के अनुपालन में किया जाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी रजिस्ट्रार के पास एक विवरण-पत्रिका को दाखिल करना शामिल है, जैसा लागू हो।

सारणी

क्र.सं (1)	कंपनियां (2)	बांडों की आंबटित राशि (करोड़ रूपए में) (3)
1	कोचीन शिपयार्ड लि. (सीएसएल)	250
2	एन्नोर पोर्ट लिमिटेड (ईपीएल)	500
3	एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया	500
4	इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि. (आईआईएफसीएल)	10000
5	इंडियन रेन्यूवेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए)	1000
6	आवास तथा शहरी विकास निगम लिमिटेड (एचयूडीसीओ)(हुडको)	5000
7	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी)	5000
8	नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी)	3000
9	विद्युत वित्त निगम लिमिटेड (पीएफसी)	5000

10	भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी)	10000
11	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	5000
12	एनएचपीसी लिमिटेड (जो पहले नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)	1000
13	एनटीपीसी लिमिटेड (पहले नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता था)	1750

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, -

- (1) अर्हक संस्थागत विक्रेताओं (क्यू आई बी) से वही तात्पर्य होगा जैसा कि भारतीय प्रतिभूति एवं नियम बोर्ड (प्रकटीकरण तथा निवेशक संरक्षण) मार्गदर्शिका 2000 द्वारा उन्हें परिभाषित किया गया है।
- (2) खुदरा एकल निवेशक से तात्पर्य उस एकल निवेशक से है जो अविभाजित हिंदू परिवार (कारता द्वारा) तथा अनिवासी भारतीय, वापसी पर तथा गैर-वापसी आधार पर प्रत्येक इश्यू में 10 लाख रुपये तक का आवेदन करता हो तथा एकल निवेशक जो 10 लाख रुपये से अधिक का निवेश करता हो उसे उच्च नेटवर्क एकल निवेशक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- (3) अनिवासी भारतीय को जारी बॉण्ड विदेश विनिमय प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 के तथा धारा 47 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. फेमा 4/2000-आरबी, दिनांक 3 मई, 2000 तथा अधिसूचना (यथा संशोधित) सं. फेमा 20/2000-आरबी दिनांक 3 मई, 2000 के उपबंधों के अधीन होंगे।
- (4) इस अधिसूचना के पैरा (4) में संदर्भित क्रेडिट रेटिंग का तात्पर्य उस क्रेडिंग रेटिंग से है जैसा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा परिभाषित किया गया है जिसे भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा जिन मामलों में किसी संस्था को एक से अधिक रेटिंग एजेंसी द्वारा अलग-अलग रेटिंग प्रदान की गई हो तो उनमें से निचली रेटिंग पर विचार किया जाएगा।

3471 26/13-2

[अधिसूचना सं. 61/2013/फा. सं. 178/37/2013-(आईटीए-1)]

सुरभि शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION
New Delhi, the 8th August, 2013

S.O. 2424(E).— In exercise of the powers conferred by item (h) of sub-clause (iv) of clause (15) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises the entities mentioned in column (2) of the following Table, to issue, during the financial year 2013-14, tax-free, secured, redeemable, non-convertible bonds, aggregating to amounts mentioned in column (3) of the said table, subject to the conditions, namely:-

1. **Eligibility.**- The following shall be eligible to subscribe to the bonds:-
 - (a) Retail Individual Investors (RIIs);
 - (b) Qualified Institutional Buyers (QIBs);
 - (c) Corporates.- (including statutory corporations), trusts, partnership firms, limited liability partnerships, cooperative banks, regional rural banks and other legal entities, subject to compliance with their respective applicable legislations; and
 - (d) High Networth Individuals (HNIs).
2. **Tenure of bonds.**- The tenure of the bonds shall be ten, fifteen or twenty years.
3. **Permanent Account Number.**- It shall be mandatory for the subscribers to furnish their Permanent Account Number to the issuer.
4. **Rate of interest.**-
 - (1) There shall be a ceiling on the coupon rates based on the reference Government security (G-sec) rate.

- (2) The reference G-sec rate shall be the average of the base yield of G-sec for equivalent maturity reported by Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA) on a daily basis (working day) prevailing for two weeks ending on Friday immediately preceding the filing of the final prospectus with the Exchange or Registrar of Companies (ROC) in case of public issue and the issue opening date in case of private placement.
 - (3) The ceiling coupon rate for AAA rated issuers shall be the reference G-sec rate less 55 basis points in case of RIIs and reference G-sec rate less 80 basis points in case of other investor segments referred to at (b),(c) and (d) of paragraph 1 above.
 - (4) In case the rating of the issuer entity is AA+, the ceiling rate shall be 10 basis points above the ceiling rate for AAA rated entities as given in clause(3).
 - (5) In case the rating of the issuer entity is AA or AA-, the ceiling rate shall be 20 basis points above the ceiling rate for AAA rated entities as given in clause(3).
 - (6) These ceiling rates shall apply for annual payment of interest and in case the schedule of interest payment is altered to semi-annual, the interest rates shall be reduced by 15 basis points.
 - (7) The higher rate of interest, applicable to RIIs, shall not be available in case the bonds are transferred by RIIs to non retail investors.
5. Issue expense and brokerage.-
- (1) In the case of private placement, the total issue expense shall not exceed 0.25 per cent of the issue size and in case of public issue it shall not exceed 0.65 per cent of the issue size.
 - (2) The issue expense would include all expenses relating to the issue like brokerage, advertisement, printing, registration etc.
6. Public issue.- (1) At least 70 per cent of the aggregate amount of bonds issued by each entity shall be raised through public issue and the same shall not be applicable in case of entities where the aggregate amount of bonds as per column (3) of the table is less than rupees five hundred crore.
- (2) 40 per cent of such public issue shall be earmarked for RIIs.

3471 9/13-3

7. Private placement.- (1) While adopting the private placement route to issue the bonds, each entity shall adopt the book building approach except for those mentioned in subparagraph (2) except as per regulation II of the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations 2008, wherein bids shall be sought on the coupon rate subject to a ceiling specified by the entity and the allotment shall be made at the price bid.
- (2) The issuers shall earmark suitable amounts within their private placement allocation for placing with Sovereign Wealth Funds, Pension and Gratuity Funds without the requirement of book building procedure:
- Provided that in the event of any non response, the issuers shall be free to offer the un-subscribed amount through book building route under private placement in domestic market.
- (3) The bonds shall be paid for and issued at a premium but with a fixed coupon so that the instrument can be traded under a single International Securities Identification Number (ISIN) and the yield shall be worked out based on the price quoted and then allotment shall be done for the best price (lowest yield).
- (4) The ceiling rate of the interest shall either be equal to or lower than the rate mentioned in paragraph 4 above.
- (5) While calling for bids, there shall be no limit on the number of arrangers who can bid for the issue.
8. Repayment of bonds.-
- (1) The issuer entity shall submit a financing plan to the Ministry of Finance to demonstrate its ability to repay the borrowed funds once the repayment becomes due.
- (2) The financing plan referred in sub paragraph (1) shall be submitted to the Infra-Finance Section, Infrastructure Division, Department of Economic

Affairs, Ministry of Finance, within three months of closure of the issue, duly supported by a resolution of the respective entity's Board of Directors.

9. Selection of merchant bankers.- (1) The merchant bankers shall be selected through competitive bidding process with transparent pre-qualification criteria and the final selection shall be based on evaluation of financial bids.
- (2) The benefit under section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall be admissible only if the holder of such bonds register his name and the holding with the entity.
- (3) The issue shall be made in compliance with the public issue requirements specified in the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 including *inter alia*, the filing of a prospectus with the Registrar of Companies, as applicable.

Table

Sl. No. (1)	Entities (2)	Allocated amount of bonds (Rs. in Crore) (3)
1	Cochin Ship Yard Limited(CSL)	250
2	Ennore Port Limited (EPL)	500
3	Airport Authority of India Limited(AAI)	500
4	Indian Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL)	10000
5	Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA)	1000
6	Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO)	5000
7	Rural Electrification Corporation Limited(REC)	5000
8	National Housing Bank (NHB)	3000
9	Power Finance Corporation Limited (PFC)	5000
10	Indian Railway Finance Corporation Limited (IRFC)	10000
11	National Highways Authority of India (NHAI)	5000
12	NHPC Limited (formerly known as National Hydroelectric Power Corporation Ltd.)	1000
13	NTPC Limited (formerly known as National Thermal Power Corporation)	1750

Explanation. - For the purposes of this notification, -

- (1) Qualified Institutional Buyers shall have the same meaning as assigned to them in the Securities and Exchange Board of India (Disclosure and Investor Protection) Guidelines, 2000.
- (2) Retail individual Investors means those individual investors, Hindu Undivided Family (through Karta), and Non Resident Indians (NRIs), on repatriation as well as non repatriation basis, applying for upto rupees ten lakh in each issue and individual investors investing more than rupees ten lakh shall be classified as High Networth Individuals.
- (3) The bonds issued to NRIs shall be subject to the provisions of Notification No. FEMA 4/2000-RB dated 3rd May, 2000 and Notification No. FENA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000, issued under clause (b) of sub-section (3) of section 6 and section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), as amended from time to time.
- (4) The credit rating referred to in paragraph 4 of this notification shall mean the credit rating, as assigned by a credit rating agency which is approved by the Securities and Exchange Board of India as well as the Reserve Bank of India and where an entity has been rated differently, by more than one rating agency, the lower of the two ratings shall be considered.

[Notification No. 61/2013/F. No. 178/37/2013-(ITA.I)]

SURABHI SHARMA, Under Secy.